

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक 13 JUL 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 के द्वारा नव नियुक्त निम्न अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न कारणों से कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु किए गए निवेदन पर विचार करते हुए इनके कार्यग्रहण काल में उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक अभिवृद्धि प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई है	कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की समयावधि
1.	डॉ हरि नन्दन मीणा,	सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	2 माह
2.	डॉ आनन्द कुमार	सहायक आचार्य, चर्म एवं रति रोग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	45 दिवस

यह अभिवृद्धि उनके कार्यग्रहण काल में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.2021 द्वारा की गई अभिवृद्धि की निरन्तरता में है।

आज्ञा से,
30/6/2021
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिवृद्धि की गई अवधि में अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को जरिये ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर
(शिवशंकर अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव